# अध्याय - 6
# सामाजिक सुरक्षा

## प्रस्तावना

6.1 सामाजिक सुरक्षा सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता, मृत्यु और वृद्धावस्था में समुचित सहायता प्रदान करती है। राज्य का यह मूलभूत उत्तरदायित्व है कि वह देश के कामगार वर्ग तथा उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा तथा सहायता मुहैया करवाने के लिए समुचित प्रणाली विकसित करे । भारत में शहरीकरण और कार्यस्थल के स्थानांतरण के कारण परम्परागत पारिवारिक सहायता के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सहायता प्रणाली को प्रमुखता मिली है। सामाजिक सुरक्षा पर निर्भरता आवश्यकता और आय-स्तर के अनुसार भिन्नता लिए है ।

## सामाजिक सुरक्षा कानून

6.2 भारत में अधिनियमित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कानून निम्नलिखित हैं:-

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948।
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (कोयला खानों और असम राज्य में चाय बागानों में नियोजित कामगारों और नाविकों के लिए अलग से भविष्य निधि विधान है) ।
- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923।
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961।
- उपदान संदाय अधिनियम, 1972 ।

## सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों का प्रशासन

6.3 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम का संचालन भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन नकद हितलाभ के भुगतान का संचालन क.रा.बी.निगम (ई.एस.आई.सी.) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन चिकित्सीय देख-रेख का संचालन राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उपदान संदाय अधिनियम का संचालन केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों, जिनकी शाखाएं एक से अधिक राज्यों में हैं, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों और रेलवे के लिये केन्द्र सरकार द्वारा और शेष मामलों में राज्य सरकारों, तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा किया जाता है। यह अधिनियम कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है । खानों और सर्कस उद्योग में, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के उपबंधों का संचालन मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि कारखानों, बागानों और अन्य प्रतिष्ठानों में राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों का संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

## कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

6.4 इस अधिनियम का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि, पेंशन व बीमा स्थापित करना है । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान में निम्नलिखित तीन योजनाएं चलाई जा रही हैं:

- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
- कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

## स्थापनाओं एवं सदस्यों की व्याप्ति (कवरेज)

6.5 वर्तमान में यह अधिनियम, अधिनियम की अनुसूची-1 में यथा-विनिर्दिष्ट 180 विनिर्दिष्ट उद्योगों/स्थापनाओं के वर्गों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किसी गतिविधि, जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, पर लागू है। 31मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त दोनों क्षेत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन 4,08,831 स्थापनाएं और कारखाने शामिल हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 411.10 लाख है। दिनांक 01.06.2001 से किसी व्याप्त स्थापना में कार्यग्रहण करने वाले तथा 6500/-

रुपए तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले कर्मचारी इसके सदस्य बनते हैं ।

**कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि**

6.6 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की बकाया राशि 2144.82 करोड़ रुपये थी । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन चूककर्ता नियोक्ताओं के ि वरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन कार्रवाई भी करता है । साथ ही, संगठन उन नियोक्ताओं पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत अभियोजन की कार्रवाई करता है जो कर्मचारियों का अंशदान काटते तो हैं किन्तु उसे निधि में जमा नहीं कराते। वर्ष 2004-2005 के दौरान 1901.03 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल की गई।

**कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना,1976**

6.7 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976, 1 अगस्त, 1976 से सभी कारखानों/स्थापनाओं पर लागू है । उन सभी कर्मचारियों, जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं, से अपेक्षा है कि वे इस योजना के भी सदस्य बनें । नियोजकों से अपेक्षित है कि वे वेतन अर्थात् मूल मजदूरी, भोजन रियायत की कैश वैल्यु तथा प्रतिधारण भत्ते, यदि कोई हों, सहित महंगाई भत्ते की 0.5 प्र ातिशत की दर से बीमा निधि में अंशदान का भुगतान करें । वर्ष-2004-2005 के दौरान नियोक्ताओं के अंशदान सहित 191.62 करोड़ रुपये जमा किए गए। वर्ष 2004-2005 के दौरान 21,462 दावे निपटाए गए और 50.34 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई । वर्ष 2004-2005 के अंत तक इस योजना के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का 4457.64 करोड़ रुपए परिशोधन के बाद लागत मूल्य का संचयी निवेश था।

योजना के अंतर्गत लाभ

**कर्मचारी पेंशन योजना**

**व्याप्ति (कवरेज)**

6.8 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 दिनांक 16.11.1995 से लागू की गई है । इस पेंशन योजना के आरम्भ होने पर पूर्व में लागू परिवार पेंशन योजना, 1971 समाप्त कर दी गई । तथापि, जो पेंशनभोगी पूर्व परिवार पेंशन योजना के अधीन लाभ प्राप्त कर रहे थे वे कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के अंतर्गत परिवार पेंशन प्राप्त करते रहेंगे ।

**पात्रता**

6.9 सदस्यों की आयु 58 वर्ष होने पर तथा कम-से-कम 10 वर्ष की अंशदायी सेवा (जिसमें सदस्यता अ वधि तथा समाप्त परिवार पेंशन योजना, 1971 की अ वधि शामिल है), होने पर वे अधिवर्षिता पेंशन पाने के हकदार होंगे। 10 वर्ष से कम सेवा वाले सदस्य योजना प्रमाण-पत्र अथवा प्रत्याहरण लाभ, जैसी भी स्थिति हो, पाने के हकदार होंगे।

**योजना के अंतर्गत लाभ**

6.10 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 निम्नलिखित हितलाभ पैकेज उपलब्ध कराती है :-

1• 58 वर्ष की आयु होने पर अधिवर्षिता
2• सेवानिवृत्ति लाभ
3• स्थायी पूर्ण अपंगता
4• सेवा के दौरान मृत्यु
5• सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता/ स्थायी पूर्ण अपंगता के पश्चात् मृत्यु
6• बाल पेंशन
7• अनाथ पेंशन

6.11 वर्ष 2004-2005 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निपटाए गए पेंशन दावों (सभी लाभों) का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

| **दावों की श्रेणी** | निपटाए गए दावों **की संख्या** |
|---|---|
| **मासिक पेंशन लाभ** | **326607** |
| **जीवन बीमा लाभ**<br>**सेवानिवृत्ति एवं प्रत्याहरण लाभ**<br>**प्रतिदाय** | **1819431** |
| **कुल** | **2146038** |

**पेंशन निधि में अंशदान**

6.12 इस योजना का वित्त पोषण, भविष्य निधि अंशदान नियोक्ता शेयर से 8.33 प्रतिशत अन्तरित करके व केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में मूल मजदूरी के 1.16 प्रतिशत की दर से किया जाता है। समाप्त की जा चुकी परिवार पेंशन निधि की कुल संचित राशि पेंशन निधि की संचयी राशि है। वर्ष 2004-05 के दौरान 6511.85 करोड़ रुपये पेंशन निधि अंशदान के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें 5911.85 करोड़ रुपये नियोक्ता शेयर का तथा 600 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार का अंशदान था।

**पेंशन लाभाधिकारी**

6.13 समाप्त की जा चुकी परिवार पेंशन योजना के लाभाधिकारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ पाते रहेंगे । दिनांक 31.3.2005 को योजना के अंतर्गत 1169270 सदस्य, 487201 विवाहित, 395481 बच्चे, 8522 अनाथ एवं 6019 नामिती पेंशन प्राप्त कर रहे थे। वर्ष के दौरान पेंशनभोगियों को कुल 1717.93 करोड़ रुपये राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं डाकघरों के माध्यम से वितरित किए गए ।

**आधुनिकीकरण कार्यक्रम**
**कर्मचारी भविष्य निधिसंगठन का पुनर्निर्माण**

6.14 इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के देश भर में 260 कार्यालय हैं जिनमें 20,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और सूचना प्राद्योगिकी सुधार कार्यक्रम की कार्रवाई की जा रही है जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में एकीकृत सूचना तंत्र स्थापित करना है।

**कर्मचारी राज्य बीमा योजना**

**व्याप्ति**

6.15 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1948 में बीमारी, प्रसूति और रोजगार के दौरान लगी चोट के मामलों में स्वास्थ्य देखरेख और नकद लाभों के भुगतान का प्रावधान है । यह अधिनियम विद्युत शक्ति का प्रयोग करने वाले और 10 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-मौसमी कारखानों तथा विद्युत शक्ति का प्रयोग न करने वाले और 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कतिपय अन्य प्र ातिष्ठानों पर लागू होता है । इस अधिनियम को क्षेत्रवार चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है । कर्मचारी राज्य बीमा योजना 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 718 केन्द्रों में संचालित है । 31.3.2005 तक योजना के अंतर्गत 84.98 लाख बीमित व्यक्तियों एवं लगभग 329.73 लाख लाभाधिकारियों को शामिल किया गया है । वर्ष के अंत तक शामिल किए गए कारखानों तथा स्थापनाओं की संख्या बढ़कर 2,80,871 तक पहुंच गई।

**प्रशासन**

6.16 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.निगम) नामक सांविधिक निकाय द्वारा प्र ाशासित की जाती है जिसमें नियोक्ता, कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सरकारों, चिकित्सा व्यवसाय एवं संसद के प्र ातिनिधि सदस्य होते हैं । केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री इसके अध्यक्ष हैं । निगम के सदस्यों में से ही गठित स्थायी समिति योजना के प्रशासन में कार्यकारिणी निकाय की भूमिका निभाती है तथा इसके अध्यक्ष, सचि व, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, हैं । वर्तमान में 24 क्षेत्रीय बोर्ड, 349 स्थानीय समितियां मौजूद हैं । महानिदेशक (क.रा.बी. निगम) निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं निगम के पदेन सदस्य भी हैं । कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिल्ली में स्थित मुख्यालय के अलावा देश भर में अनेक फील्ड कार्यालय हैं । निगम के देशभर में 23 क्षेत्रीय कार्यालय, 17 उप-क्षेत्रीय कार्यालय, 628 शाखा कार्यालय, 258 निरीक्षण कार्यालय एवं 183 भुगतान कार्यालय हैं जो योजना का प्रशासन चला रहे हैं।

**योजना का वित्तपोषण एवं प्रचालन**

6.17 कर्मचारी राज्य बीमा योजना का वित्तपोषण मुख्यतः नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान से होता है। नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के अंशदान की दर क्रमशः 4.75 प्रतिशत तथा 1.75 प्रतिशत है । चिकित्सा देखरेख की व्यवस्था पर होने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार का शेयर 12.5 प्रतिशत (प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा के भीतर 1/8 भाग) है । निगम ने चिकित्सा देखरेख पर होने वाले शेयर योग्य व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की है । 1 अप्रैल, 2005 से प्रति बीमित व्यक्ति परिवार एकक के व्यय की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 900/-रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है । कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और अन्य भवनों के निर्माण और उनके रखरखाव पर समस्त

पूंजीगत व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है ।

## निवेश

6.18 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अधीन प्राप्त समस्त अंशदान तथा निधि से संबंधित समस्त अन्य धनराशि, जिसकी दिन प्रतिदिन का खर्च करने के लिए तात्कालिक आवश्यकता नहीं है, सांविधिक रूप में विहित रीति से निवेशित की जाती है । 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार 11,302.67 करोड़ रुपये की निधि का कुल निवेश किया गया है । इसमें से 5222.57 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय सरकार के विशेष जमा खाते में निवेश की गई है तथा 6080.10 करोड़ रुपए की शेष राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि में सावधि जमा के रूप में निवेशित है ।

## कर्मचारी राज्य बीमा देयों की बकाया राशि

6.19 व्याप्त कारखानों/स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा चूक के कारण 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार 1015.15 करोड़ रु. की राशि बकाया थी। इसमें से 464.68 करोड़ रु. की राशि विभिन्न कारणोंवश जैसे उद्यमों के परिसमापन में चले जाने अथवा वसूली को न्यायालयों में विवादित किए जाने के कारण फिलहाल वसूलनीय नहीं है। शेष 550.47 करोड़ रु. की राशि वसूलनीय है। कर्मचारी राज्य बीमा देयों की वसूली के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के विभिन्न उपबन्धों और भारतीय दंड संहिता के अधीन वसूली तंत्र, वैधानिक तथा दाण्डिक कार्रवाइयों के माध्यम से आवश्यक वसूली कार्रवाई कर रहा है । वर्ष 2004-2005 के दौरान निगम ने अपने वसूली तन्त्र के माध्यम से चूककर्त्ताओं से 176.10 करोड़ रु. की राशि वसूल की । इसके अलावा, अप्रैल, 2005 से नवम्बर, 2005 तक 58.06 करोड़ रु. वसूल किए गए हैं।

## स्वास्थ्य संबंधी लाभ

6.20 इस योजना में बीमित व्यक्तियों (आई.पी.) और उनके परिवार के सदस्यों को प्राथमिक स्वास्थ्य-सेवा से लेकर अति विशेषज्ञ उपचार की सभी चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं । दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के नोएडा को छोड़कर इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखरेख का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इस संबंध में उनकी सांविधिक जिम्मेदारी है । निगम प्रत्यक्ष रूप से पांच व्यावसायिक रोग केन्द्रों एवं सामान्य अस्पतालों को भी प्रशासित करता है जिनमें, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कोलकाता एवं 13 आदर्श अस्पतालों अर्थात् साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश), चंडीगढ़ प्रशासन लुधियाना (पंजाब), नामकुम (झारखंड), जयपुर (राजस्थान), फुलवारी शरीफ (बिहार), आस्रमम (केरल), राजाजीनगर (बंगलौर), राउरकेला (उड़ीसा), बाड़ी ब्राह्मण (जम्मू एवं कश्मीर) तथा नागदा (मध्य प्रदेश ) प्रत्येक में एक-एक है । मार्च 2005 के अंत तक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की कुल संख्या 143 थी ।

| **कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा की संरचना (31.03.2005 की स्थिति के अनुसार)** | |
|---|---|
| कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल | 143 |
| कर्मचारी राज्य बीमा एनेक्सियां | 42 |
| कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में निर्मित बिस्तर | 23063 |
| कर्मचारी राज्य बीमा एनेक्सियों में बिस्तर | 849 |
| राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तर | 3187 |
| बीमा चिकित्सा अधिकारियों की संख्या | 6960 |
| क.रा.बीमा औषधालय | 1427 |
| पैनल क्लीनिक | 2135 |

## वर्ष 2004-05 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की उपलब्धियाँ

6.21 कर्मचारी राज्य बीमा योजना 143 अस्पतालों, 42 एनेक्सियों, 1427 औषधालयों, 2135 क्लीनिकों तथा 811 शाखा कार्यालयों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से 330 लाख लाभाधिकारियों को सामाजिक संरक्षण उपलब्ध कराती है।

- वित्तीय वर्ष 2004-05 में निगम लगभग 1689 करोड़ रुपये की सर्वाधिक अंशदान आय प्राप्त करने में समर्थ हुआ है।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना 91 नए भौगोलिक क्षेत्रों में लागू की गयी । कुल 1.38 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को इसके दायरे में लाया गया। 17,221 नए नियोजकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में लाया गया।

- चिकित्सा देख-रेख खर्च की अधिकतम सीमा को 01.04.2005 से प्रति बीमित व्यक्ति 750/- रुपये से बढ़ाकर 900/-रु. प्रति बीमित व्यक्ति प्रतिवर्ष कर दिया गया है ।

- निगम ने कर्मचारियों और नियोजकों तक आसान पहुंच हेतु प्रशासनिक तंत्र को विकेन्द्रित करने के अपने प्रयास में गुड़गांव (हरियाणा), तिरूनेलवेली (तमिलनाडु), औरंगाबाद ( महाराष्ट्र), नौएडा एवं वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तथा सेलम (आंध्र प्रदेश) में छः नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप-क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया है।

- निगम ने अब 1 अप्रैल, 2005 से अनिच्छा से बेरोजगारी का सामना करने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए "राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना " प्रारंभ की है।
- निगम ने अखिल भारतीय विशिष्ट संख्या के साथ प्रत्येक बीमित व्यक्ति के लिए विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है जिससे बीमित व्यक्ति देश में कहीं भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभ का दावा करने में समर्थ होगा।
- निगम ने अंशदान के आस्थगित भुगतान हेतु देय ब्याज दर को कम करने का निर्णय लिया है। निगम ने आश्रित ऐसे माता-पिता पर चिकित्सा देख-रेख का विस्तार करने का निर्णय लिया है जिनकी मासिक आय 1500/- रुपये प्रतिमाह से कम है और जो आमतौर पर बीमित व्यक्ति के साथ रहते हैं।
- निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बाड़ी ब्राह्मण (जम्मू एवं कश्मीर) तथा पांडिचेरी को आदर्श अस्पतालों के रूप में अपने अधिग्रहण में लिया है।
- निगम ने शैक्षणिक संस्थाओं, निजी चिकित्सा संस्थाओं तथा निगम/नगरपालिकाओं आदि में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।
- निगम ने चार मंडलों में सुपर विशेषज्ञता अस्पतालों की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

**उपदान संदाय अधिनियम, 1972**

6.22 उपदान संदाय अधिनियम, 1972 उन कारखानों/स्थापनाओं पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। पांच वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर कर्मचारी अपनी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उसके भाग जो छह मास से अधिक का हो, के लिए 15 दिन की मजदूरी की दर से अधिकतम 3.50 लाख रुपये तक उपदान (ग्रेच्युटी) प्राप्त करने का हकदार है । मौजूदा अधिकतम सीमा 24.9.1997 से लागू है। अधिनियम के दायरे में आने के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा को 24.5.1994 से बढ़ाया गया है।

**कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923**

6.23 इस अधिनियम के अंतर्गत उन कर्मकारों तथा उनके आश्रितजनों को मुआवजा देने का प्रावधान है जो कार्य के कारण अथवा कार्य के दौरान हुई किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं (इसमें कुछ व्यावसायिक बीमारियां शामिल हैं) तथा जिसके परिणामस्वरूप अपंगता अथवा मृत्यु हो जाती है। यह अधिनियम रेलवे कर्मचारियों तथा अधिनियम की अनुसूची 2 में उल्लिखित ऐसी किसी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होता है । अनुसूची-2 में कारखानों, खानों, बागानों, यन्त्र चालित वाहनों, निर्माण कार्यों तथा अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगे व्यक्ति शामिल हैं। पूर्ण स्थायी अपंगता तथा मृत्यु के लिए न्यूनतम मुआवजे के लिए क्रमशः 90,000/- रुपये तथा 80,000/- रुपये नियत किए गए हैं। कर्मकार की आयु और मजदूरी के आधार पर मृत्यु और पूर्ण स्थाई अपंगता के लिए अधिकतम राशि क्रमशः 4.56 लाख रुपए तथा 5.48 लाख रुपए तक हो सकती है ।

**प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961**

6.24 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कुछ स्थापनाओं में कार्यरत महिलाओं को एक विशेष अवधि के लिए, बच्चे के जन्म से पहले तथा बाद में प्रसूति एवं अन्य लाभ दिए जाते हैं । यह अधिनियम(कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अधीन व्याप्त कर्मचारियों को छोड़कर) उन खानों, कारखानों, सर्कस उद्योग,

बागानों, दुकानों तथा उन स्थापनाओं में लागू होता है जिनमें दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हों । राज्य सरकारों द्वारा इसे अन्य स्थापनाओं पर भी लागू किया जा सकता है । अधिनियम के अंतर्गत व्याप्ति के लिए वेतन की कोई सीमा नहीं है।